



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER  
**केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
CGST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR

फा.सं.: GCCO/II/20/OTH/8/2025-ADMN

**कार्यालय आदेश संख्या:- 06/2026**

दिनांक :-27.02.2026

सुश्री निष्ठा शर्मा, संयुक्त आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन, जयपुर के दिनांक 02.03.2026 से 28.08.2026 (पूर्वलग्न 28.02.2026/01.03.2026 और अनुलग्न 29.08.2026/30.08.2026) तक 180 दिन के मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

उक्त अवधि के दौरान एवं अग्रिम आदेशों तक अपर/ संयुक्त आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन, जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार श्री आशुतोष, आयुक्त (*in situ*), अपील्स, जयपुर अपने नियमित कार्यभार के साथ निर्वहन करेंगे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

**(अनुपमा सक्सेना)**  
**सहायक आयुक्त**

प्रति निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1) श्री आशुतोष, आयुक्त (*in situ*), अपील्स, जयपुर;
- 2) सुश्री निष्ठा शर्मा, संयुक्त आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन, जयपुर;
- 3) प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, आयुक्तालय - जयपुर/ जोधपुर/ अलवर/ उदयपुर/ अंकेक्षण-जयपुर/ अंकेक्षण-जोधपुर/ अपील्स-जयपुर/ अपील्स-जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर (मु. जयपुर);
- 4) अपर महानिदेशक (एचआरएम-II), मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली;
- 5) अवर सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली;
- 6) वेबमास्टर को उक्त आदेश की प्रति जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।